तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु०नं० 114/2024 बलवन्तसिंह बनाम प्रतापसिंह	नम्बर व ता... अहकाम जो हुक्म की ... में जारी
02/06/2025	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा है। एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 09/06/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
09/6/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13/6/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 17/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17/6/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 30/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30/6/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 5/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
5/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० अधि० उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र मय समस्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० किया है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 114/2024

1. बच्चूसिंह पुत्र बाबूसिंह
2. मुकेशचंद पुत्र बाबूसिंह
3. लेखराज पुत्र बाबूसिंह जाति गुर्जर निवासी नगला खडईया तहसील उच्चैन।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र स्व. भजनलाल जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—05.08.2025**

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 654/0.43 वाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है और इसी आधार पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी के पास ही चपेटमा गैरसायल की आराजी खसरा नम्बर 653 स्थित है जो वतरफ दक्षिण दिशा में स्थित है सायल चालाक व झगडालू किस्म का व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थीगण की आराजी की डौलमैड को लेकर झगडा फिसाद करने पर आमादा रहता है और आराजी की मेड को तोडकर सायलान की आराजी के कुछ हिस्से को अपने खेत में मिलाना चाहता है। पूर्व में ही अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की आराजी के वतरफ दक्षिण दिशा की मेड को तोडने का प्रयास कर सायलान की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने का प्रयास किया था इस सम्बन्ध में सायलान द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2019 पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए संख्या 36/2019 भी पेश किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अस्थाई निषेधज्ञा विरूद्ध गैर सायल दिनांक 28.05.2019 को जारी की गई थी जिसमें कैम्प में राजीनामा हो जाने से सायलान ने उक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए को विड्रो कर लिया गया था परन्तु अब पुनः गैर सायल द्वारा उक्त प्रयास किया जा रहा है। दिनांक 25.06.2023 को गैर सायल मौके पर आया और सायलान को धमकी दी है कि सायलान की आराजी की मेड को तोडेगा और अपनी आराजी में मिलायेगा तथा सायलान को आराजी पर काश्त नहीं करने देगा तथा जोतने बोने नहीं देगा जिसके कारण वादी को उक्त वादपत्र को पेश करने हेतु वाद कारण पैदा हुआ है। अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाव पेश कर निवेदन किया है प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर सच्चाई छुपाते हुये विना किसी आधार पर पेश किया है जवकि सच्चाई यह है कि मुझ अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्वर 653/0.36है0 वाके ग्राम फतेहपुर में स्थित है उक्त आराजी के उत्तर में प्रार्थी उक्त आराजी की डौल मेडौं को तोडते रहते है तथा मेरी आराजी पर कब्जा करते रहते है क्योंकि प्रार्थीगण बहुमत वाले झगडालू किस्म के व्यक्ति है जब इस बार इन्होंने मेरी आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया तो मुझे न्यायालय श्रीमान में प्रतापसिंह बनाम बच्चूसिंह बगै0 मुकदमा बाबत् स्थाई निपेधज्ञा पेश करना पछा जिसके बचाब में उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योंकि सन् 2019 में भी एक बार इन्होंने मेरी उक्त आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया तब भी मेरे द्वारा एक मुकदमा न्यायालय में पेश किया था जिसमें लोक अदालत में प्रार्थीगण ने मौखिक रूप से हमारी आराजी से कब्जा हटाकर भविष्य में कब्जा नहीं करने की सहमति दी थी जिससे हमारा मुकदमा राजीनामा के आधार पर विड्रो किया गया था एवं एक झूठी एफआईआर करा दी तथा जब अनुशंधान अधिकारी ने जांच में पाया की मेरी स्वयं की डौल मेडो को प्रार्थीगण ने तोडा है तो उक्त एफआईआर में थाना उच्चैन ने एफआर दे दी। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी चालक एवं झगडालू किस्म का व्यक्ति है जो कि आराजी की डौल मैडों को तोडकर प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने का प्रयास करता है। प्रार्थीगण के द्वारा पूर्व में भी ऐसा प्रयास किया गया था जिसके कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्व वाद पेश किया था जिसमें कैम्प में राजीनामा हो जाने कारण उक्त मुकदमे को विड्रो कर लिया था परन्तु अप्रार्थी द्वारां अब पुनः प्रयास किया जा रहा है जिसके कारण अप्रार्थी को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने उक्त वादपत्र सच्चाई को छुपाते हुये झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त वादपत्र पेश किया है प्रार्थीगण झगडालू किस्म एवं बहुमत वाले व्यक्ति है जो कि मेरी आराजी पर कब्जा करने पर उतारू है एवं पूर्व में भी प्रार्थीगण के द्वारा मेरी आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया एवं मेरे विरूद्ध झूठी एफआईआर पुलिस थाना उच्चैन में पेश की थी जिसमें अनुशंधान अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर एफआर दी गई थी। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को परेशान करने की नीयत से पेश किया है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण रिकार्डेड

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है चुंकि उक्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी बाबत् अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पावंद किया जाना न्यायेचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी में खातेदार काश्तकार होने आधार पर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद करबाना चाहा गया है। यदि अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद नहीं किया जाता है और विवादित आराजी के मौके की स्थिति में यदि कोई परिवर्तन आदि होता है तो प्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना सम्भावितं है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। उक्त आराजी प्रार्थीगण खातेदारी की आराजी है एवं उक्त आराजी पर पूर्व में भी अप्रार्थी के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई थी जिसके बावत् प्रार्थीगण ने एक राजस्व मुकदमा इस न्यायालय में पेश किया था एवं कैम्प के दौरान राजीनामा होने के कारण पूर्व में पेश प्रकरण को विड्रो कर लिया था एवं अप्रार्थी पुनः उक्त विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहता है जिसके कारण प्रार्थीगण को पुनः राजस्व वाद पेश करना पडा जबकि अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि उक्त आराजी में मौके की स्थिति यथाबत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अप्रार्थी को होने वाली असुविधा से अधिक प्रतीत होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को हुई असुविधा अप्रार्थी को होने बाली असुविधा से अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी ख0 नं0 654/0.43है0 बाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बेजा दखलंदाजी न करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर